[illegible]

[illegible]

[illegible]

खातेदारी में संयुक्त नहीं है [illegible] आराजी का खाता विभाजन कराना चाहती है जिसकी प्रार्थिया काश्तकार अधिकारी है दिनांक 8.2.2012 को प्रार्थिया ने अप्रार्थी नं. 1 से 4 से अपना खाता विभाजन कराने के लिए कहा तो वह साफ इन्कार हो गये और प्रार्थिया को धमकी दी कि वे तो प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल करेंगे तथा विवादित आराजीयात को किसी अन्य को रहन दान बेचान कर छुई मुई करेंगे प्रार्थिया ने उसी दिन तहसीलदार छीपाबड़ौद से अपना खाता विभाजन करने के लिए कहा तो वह भी इन्कार हो गये और दावा करने के लिए कहा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 8.2.12 को प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण से अपना खाता अलग कराने की कहने पर उसके द्वारा मना करने पर तथा प्रार्थिया को उसके हक हिस्से की आराजीयात से बेदखल करने पर उत्पन्न हुआ प्रार्थिया का अर्थ प्रकट हुआ है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में विद्यमान है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हुई तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकती तथा प्रार्थिया को अनेकानेक मुकदमेबाजी में उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण 1, 3, 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी क्रम 2, 5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। वादिया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी तथा विभाग साल 2066-69 खाता नं. 47 पेश की गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके तप्पा विभाग तहसील छीपाबड़ौद के स्थित है जिसमें प्रार्थिया का 1/5 हिस्सा है। वादिया का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थिया अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराना चाहती है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थिया को परेशान करने की नियत से एवं भूमि को अन्यत्र बेचान करने की नियत से विभाजन कराना नहीं चाहते हैं। अप्रार्थीगण को स्थगित बाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जाकर वक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमति

बताया

वहां अभिभाषक आदि पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण पत्रावली अन्तर्गत सम्वत 2066-69 खाता नं. 47 के अनुसार दुर्गालाल, कालूलाल, गंगालाल, पुत्र पांच्चा, गुलाबबाई पुत्री पांच्चा, सुन्दरबाई के पांच्चा दर्ज है जबकि यह सर्वविदित तथ्य है कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा दर्ज है कि वह विभाजन कराने की अधिकारी है प्रार्थीगण अभार्थी गण को उनके अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कराने की अधिकारी है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना समीचीन है

निष्पादक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अभार्थी क्र. 1 से 4 को वादग्रस्त भाग जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाता है कि आराजी ख.नं. 48 रकबा 2.02 बीघा, ख.नं. 92 रकबा 1.16 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 203 रकबा 1.02 बीघा, ख.नं. 234 रकबा 02 बिस्वा, ख.नं. 356/28 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 357/286 रकबा 1 बीघा मौजा किशनगढ़ के के हिस्सा 1/5 पर प्रार्थीगण को आदि प्रकार काश्त करने से किसी का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(हरिलाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ोद जिला झालावाड़
उपखण्ड अधिकारी छी

Scanned by CamScanner